न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 06/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. मदनलाल पुत्र केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. हरीराम पुत्र केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. केवलराज पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. महावीरप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अमनदीप पुत्री केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. चमेली देवी पुत्री गंगाराम पत्नी गिरधारीलाल जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. सोमादेवी पुत्री गंगाराम पत्नी रामजीवन जाति मेघवाल सा. सुरतगढ़ तह. सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु:- अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरमीत सिंह कलसी:- अधिवक्ता प्रविवादी सं 1 ता 5

-: निर्णय :- दिनांक :- 29.5.2023

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो मृतक गंगाराम पुत्र श्योलाल के वंशज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी उनके पुर्वज़ गंगाराम पुत्र श्योलाल के नाम चक 2 के.एस.डी. खाता 25/20 खाता गंगाराम ज.स. 2071–2074 में तथा प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 के नाम इसी चक के खाता सं. 181/135 खाता केवलराज वगैरा ज.स. 2071–74 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खातों की जमाबंदीयां संलग्न है। कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से है:-

चक 2 के.एस.डी खाता सं. 181/135 में दर्ज कुल 8.045 है0 आराजी
चक 2 के.एस.डी खाता सं. 181/135 में दर्ज कुल 0.253 है0 आराजी

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी गंगाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो कि फौत हो गये है तथा उनके फौत होने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी के उनके पुत्रगण प्रति स. 1 व 2 तथा उनके फौत होने के बाद उक्त वादग्रस्त आराजी के उनके पुत्रगण प्रति स. 1 व 2 तथा उनकी पुत्रियां प्रति सं. 4 व 5 बहिब के विरास्तन हकदार है। किन्तु प्रति सं. 4 व 5 ने अपने पिता से प्राप्त अपने समस्त हक व हिस्सा का तथा अपने नाम दर्ज आराजी का परित्याग प्रति सं. 1 व 2 के पक्ष में बहिब कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के प्रति सं. 1 व 2 बहिब के हकदार है। जबकि प्रति सं. 1 के नाम दर्ज आराजी तथा उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी उनके वारिसान वादीगण तथा प्रति सं. 3 की जददी जायदाद है। जिसमें वादीगण तथा प्रति सं. 3 का अपने पिता प्रति सं. 1 के साथ जन्म से ही बहिब का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति सं. 3 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण व प्रति सं. 1 के पक्ष में बहिब कर दिया है। अतः प्रति सं. 1 के नाम दर्ज आराजी व उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी के वादीगण व प्रति सं. 1 बहिब के हकदार है। वादीगण व प्रति सं. 1 व 2 ने अपने संयुक्त परिवार की उक्त वादग्रस्त आराजी का घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक वादग्रस्त आराजी में से 1.898 है0 आराजी वादी सं.

29/5

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल आरकराबाली

1 तथा 1.846 है0 आराजी वादी सं. 2 तथा 1.771 है0 आराजी प्रति सं. 1 तथा शेष 2.783 है0 आराजी प्रति सं. 2 के हक व हिस्सा में आई है। अतः गंगराम पुत्र श्योलाल तथा प्रति सं. 1 व 2 तथा 4 व5 के नाम दर्ज आराजी मे से 1.898 है0 आराजी का वादी सं. 1 तथा 1.846 है0 आराजी का वादी सं. 2 तथा 1.771 है0 आराजी का प्रति सं. 1 तथा 2.783 है0 आराजी का प्रति सं.2 खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति सं. 3 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है।

दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण तथा प्रति सं. 1 व 2 ने आपस में काश्त की सुविधाओं को मददेनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण के लिए अच्छी मंदी अनुसार तथा खाला व रास्ता की सुविधानुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्रापत आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है:–

चक 2 केएसडी में वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज का हिस्साः–

खाता संख्या 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
164/112	21	6/1/.114, 6/2/0.013 गै.मु. रास्ता, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.25 गै.मु. रास्ता, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.886 है0
165/112	22	20–21/0.253प्र. कुल 0.506 है0
164/112	21	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता

खाता सं. 181/135

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	22/0.253 है.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक 2 केएसडी में वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
164/111	14	1–2–3/0.253प्र. 4/1/0.025, 5/1/0.025, 5/3/0.025 गै.मु. रास्ता 8,9,10,12/0.253प्र. कुल 1.846 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 1 केवलराम पुत्र गंगाराम का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/110	12	1/1/0.126, 1/2/0.127, 10,11,20,21/0.253प्र कुल 1.265 है0
164/112	21	4/1/0.114, 4/4/0.113 गै.मु. खाला, 6/3/0.114, 6/4/0.012 गै.मु. खाला कुल 0.506 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	7 ता 14/0.253प्र, 17 ता 19/0.253प्र कुल 2.783 है0

वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जाकाश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे दावा की दफा 5 के अनुसार खाता अलग कायम करवा ले तो इस पर वे स्पष्ट इन्कार हो गए। प्रतिवादी सं. 6 को लैण्ड होल्डर होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है,

29/5

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2025
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल आरकेआर(धाबां)

इनके प्रति कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद बाबत् खाता विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा चक 2 केएसडी खाता सं. 25/20 खाता गंगाराम ज.स. 2071–74 में गंगाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज कुल 8.045 है0 आराजी मे से 1.645 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज तथा 1.846 है0 आराजी वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज के नाम तथा 1.771 है0 आराजी प्रति सं. 1 केवलराज पुत्र गंगाराम के नाम तथा 2.783 है0 आराजी प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से गंगाराम पुत्र श्योलाल का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 181/135 खाता केवलराज वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 के नाम दर्ज कुल 0.253 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 केवलराज वगैरा पि. गंगाराम का नाम कलमजन किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 3 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी मदनलाल का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किय, जो पत्रावली में शामिल किए गए।

वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई व बहस वकील वादी एवं प्रतिवादीगण सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सह–काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू बंटवारा में अच्छी मंदी के अनुसार बंटवारा कर वाद पत्र की चरण संख्या 5 ए,बी,सी,डी अनुसार कृषि भूमि प्राप्त कर रहे है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। अतः वादीगण का वाद पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किया जाकर पक्षकारो का राजस्व रिकार्ड में खाता अलग–कायम कर रकमराज अलग कायम करने का आदेश देवे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 2 केएसडी खाता संख्या 25/20 एवं खाता सं. 181/135 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही है। मुताबिक वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद की दफा 5 ए,बी,सी,डी घरू बंटवारा के मुताबिक खाता अलग कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 2 केएसडी खाता सं. 25/20 खाता गंगाराम ज.सं. 2071–74 में गंगाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज कुल 8.045 है0 आराजी मे से 1.645 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज तथा 1.846 है0 आराजी वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज के नाम तथा 1.771 है0 आराजी प्रति सं. 1 केवलराज पुत्र गंगाराम के नाम तथा 2.783 है0 आराजी प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से गंगाराम पुत्र श्योलाल का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 181/135 खाता केवलराज वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 के नाम दर्ज कुल 0.253 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 केवलराज वगैरा पि. गंगाराम का नाम कलमजन किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 3 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः निम्नानुसार खाता अलग कायम करने के आदेश दिये जाते है:–

2915

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ...

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक 2 केएसडी में वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज का हिस्साः–

खाता संख्या 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
164/112	21	6/1/.114, 6/2/0.013 गै.मु. रास्ता, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.25 गै.मु. रास्ता, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.886 है0
165/112	22	20–21/0.253प्र. कुल 0.506 है0
164/112	21	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता

खाता सं. 181/135

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	22/0.253 है.

चक 2 केएसडी में वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
164/111	14	1–2–3/0.253प्र. 4/1/0.025, 5/1/0.025, 5/3/0.025 गै.मु. रास्ता 8,9,10,12/0.253प्र. कुल 1.846 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 1 केवलराम पुत्र गंगाराम का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/110	12	1/1/0.126, 1/2/0.127, 10,11,20,21/0.253प्र कुल 1.265 है0
164/112	21	4/1/0.114, 4/4/0.113 गै.मु. खाला, 6/3/0.114, 6/4/0.012 गै.मु. खाला कुल 0.506 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम का हिस्साः–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	7 ता 14/0.253प्र, 17 ता 19/0.253प्र कुल 2.783 है0

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/5/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

शिविर स्थल आरएसगाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 06/2023

1. मदनलाल पुत्र केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. हरीराम पुत्र केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. केवलराज पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. महावीरप्रसाद पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. अमनदीप पुत्री केवलराज जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. चमेली देवी पुत्री गंगाराम पत्नी गिरधारीलाल जाति मेघवाल सा. ढोलनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. सोमादेवी पुत्री गंगाराम पत्नी रामजीवन जाति मेघवाल सा. सुरतगढ तह. सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 2 केएसडी खाता सं. 25/20 खाता गंगाराम ज.सं. 2071–74 में गंगाराम पुत्र श्योलाल के नाम दर्ज कुल 8.045 है0 आराजी मे से 1.645 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज तथा 1.846 है0 आराजी वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज के नाम तथा 1.771 है0 आराजी प्रति सं. 1 केवलराज पुत्र गंगाराम के नाम तथा 2.783 है0 आराजी प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से गंगाराम पुत्र श्योलाल का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी चक के खाता सं. 181/135 खाता केवलराज वगैरा ज.स. 2071–74 में प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 के नाम दर्ज कुल 0.253 है0 आराजी वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता में से प्रति सं. 1 व 2 तथा प्रति सं. 4 व 5 केवलराज वगैरा पि. गंगाराम का नाम कलमजन किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 3 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः निम्नानुसार खाता अलग कायम करने के आदेश दिये जाते हैः–

चक 2 केएसडी में वादी सं. 1 मदनलाल पुत्र केवलराज का हिस्साः–

खाता संख्या 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
164/112	21	6/1/.114, 6/2/0.013 गै.मु. रास्ता, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गे.मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.25 गै.मु. रास्ता, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गे.मु. रास्ता कुल 0.886 है0
165/112	22	20–21/0.253प्र. कुल 0.506 है0
164/112	21	5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता

खाता सं. 181/135

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	22/0.253 है.

2915

प्रशासन ... अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल आरबरावाली

चक 2 केएसडी में वादी सं. 2 हरिराम पुत्र केवलराज का हिस्सा:–

खाता सं. 25/20

पत्थर न.	मु.न.	किला नं.
164/111	14	1–2–3/0.253प्र. 4/1/0.025, 5/1/0.025, 5/3/0.025 गै.मु. रास्ता 8,9,10,12/0.253प्र. कुल 1.846 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 1 केवलराम पुत्र गंगाराम का हिस्सा:–

खाता सं. 25/20

पत्थर न.	मु.न.	किला नं.
165/110	12	1/1/0.126, 1/2/0.127, 10,11,20,21/0.253प्र कुल 1.265 है0
164/112	21	4/1/0.114, 4/4/0.113 गै.मु. खाला, 6/3/0.114, 6/4/0.012 गै.मु. खाला कुल 0.506 है0

चक 2 केएसडी में प्रतिवादी सं. 2 महावीर प्रसाद पुत्र गंगाराम का हिस्सा:–

खाता सं. 25/20

पत्थर नं.	मु.न.	किला नं.
165/112	22	7 ता 14/0.253प्र, 17 ता 19/0.253प्र कुल 2.783 है0

नोट:– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल 100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.5.2023 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29/5/2023

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

शिविर स्थल ...